कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 2155/ FP/UK/ROAD/38635/2019 देहरादूनः दिनांकः 13 फरवरी 2021

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद– चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण–सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online proposal no- FP/UK/ROAD/38635/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी (चमोली) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट–II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 63 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
12/2/21
(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/38635/2019 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट । से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
5. जिलाधिकारी, जनपद–चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर ।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी (चमोली) ।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद– चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण–सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/38635/2019)

जनपद– चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण–सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.63 है0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.42 है0 राजस्व वन भूमि एवं 0.7 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.75 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–नैनीताल/ प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट–II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 63 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

12/2/21

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सरकारी मोहरः

D. J. K. SHARMA
Principal Chief Conservator
Forest Uttarakhand

तिथि : 12/02/2021
स्थान : देहरादून